डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:–139 / 2011 दायर दिनांक:–03.08.2011

जीसीएमएस नं. 2011 / 00317

जहीरूद्दीन पुत्र श्री बाबू आयु ताल, जाति–मुसलमान निवासी–हाडौली तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली (राज०)।

––वादी

बनाम

1. लल्लू पुत्र उल्लाउद्दीन, जाति मुसलमान निवासी हाडौली आयु तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली (राज०)। (मृतक)

1/1 खुरशीद आयु 60 साल
1/2 मुखु उर्फ मुबारक आयु 42 साल
1/3 मंसूर उर्फ बाबला आयु 38 साल
} पिसरान लल्लु

2. पोपल
3. छोटे मुन्ना
4. आरिफ
} पिसरान अखतर

5. जुम्मा
6. शहजाद
7. राजा
} पिसरान मकसूद

8. उब्बू आयु
9. अलीखा
10. बन्ने
} पिसरान अलीखा

11. शमी
12. छोटे
} पिसरान बाबू

} जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

13. स्टेट ऑफ राजस्थान, तामील जरिये जिला कलैक्टर करौली, जिला–करौली।

––प्रतिवादीगण–13

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 139 / 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पी एल गोयल एडवोकेट मिन कानिब मुदई रूबरू प्रतिवादीगण हाजिरी एकपक्षीय कार्यवाही मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी साबिक खसरा न0 380, 419, 421 के हाल खसरा न0 507 रकबा 29 ऐयर , 541 रकबा 13 ऐयर, 544 रकबा 26 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली का बाबू पुत्र औसाफ अली के वारिसान जहीरूद्दीन वादी व उसके भाई शमी, छोटे तथा बहिन बीबी व जरीना को [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त [illegible] अतिरिक्त शेष सहखातेदार अल्लउद्दीन / उसके वारिसान, [illegible] उमराव / [illegible] वारिसान व खातून बेवा यासिन अली की खातेदारी [illegible] की जाती है। तथा इस संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:49:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सूरौठ को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात में बाबू के वारिसान जहीरूददीन वादी तथा उराके भाई शमी, छोटे तथा बहिन बीबी व जरीना के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार उनके उक्त आराजीयात का नामांतकरण तस्दीक कर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करे इस संबंध तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।तथा उक्त आरजीयात के संबंध में स्थायी निषेधज्ञा से प्रतिवादीगण को पावन्द किया जाता है कि वह वादी व उसके भाई बहिनों के उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नही करे ना हि किसी अन्य से करावे तथा उन्हें शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करने देवे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:49:58 IST
Reason: SelfAttested